न्यायालय सहायक कलेक्टर , डीडवाना

कोर्ट केम्प ग्राम पंचायत दौलतपुरा

पीठासीन अधिकारी– उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व वाद संख्या 128/2015 दायर दिनांक **28.07.2015**

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. जेठाराम पुत्र स्व. सूरजाराम 2. दीनदयाल पुत्र स्व. सूरजाराम जाति जाट निवासी दौलतपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)	बनाम्	1. लिछमणराम पुत्र स्व. बालूराम 2. मदनलाल पुत्र स्व. भवानीराम उर्फ भगवानाराम 3. मोहनी पत्नि स्व. भवानीराम उर्फ भगवानाराम 4. रामूराम दत्तकपुत्र स्व. मंगाराम समस्त जाति जाट निवासी दौलतपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर 5. भंवरलाल जांखड पुत्र रिडमल जांखड जाति जाट निवासी सुद्रासन तहसील डीडवाना जिला नागौर 6. बीना जांखड पत्नि भंवरलाल जांखड 7. हीराराम पुत्र स्व. सूरजाराम समस्त जाति जाट निवासी दौलतपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 8. श्रीमान तहसीलदार साहब डीडवाना 9. श्रीमान मेनेजर साहब यू. को. बैक शाखा डीडवाना

दावा बाबत घोषणा खातेदारी व बन्टवारा व स्थाई

निषेधाज्ञा हस्ब धारा 88 53,188 राज. काश्त अधि.

–:: प्राथमिक निर्णय ::–

उपस्थित–पक्षकारान् हाजिर आए।

दिनांक– **12.06.2017**

वादी की इस्तदुआ है कि मौजा दौलतपुरा की शहरद मे खेत ख.न. 280 रकबा 39 बीघा 13 बिस्वा, खेत ख.न. 308 रकबा 05 बिस्वा,गैर मुमकिन बाडा, खेत ख.न. 309 रकबा 19 बीघा 02 बिस्वा, स्थित है।

मंगारामजी अविवाहित ही आज से करीब 15 वर्ष पहले फौत हो चुके है। जिनका दत्तक पुत्र रामूराम प्रतिवादी संख्या 04 है। तथा भवानीराम उर्फ भूगानाराम भी आज से करीब 30 वर्ष पहले फौत हो चुके हैं। जिनके वारिसान प्रतिवादी संख्या 02 ता 03 है। तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 07 के पिता सूरजाराम दिनाकं 06.01.2013 मे फौत हो चुके हैं।

उपरोक्त खेताय का बाहमी बन्टवारा सभी खातेदारान/भाईयो के बीच व वादीगण के दादा बालूराम के जीवत रहते आपसी सहमती से दिनांक 24.10.1971 को किया हुआ है। बन्टवारे की लिखित की छाया प्रति दावा के साथ पेश है। बन्टवारा आपसी सहमति से किया जाकर अपने–अपने बन्ट की जमीन पर अलग–अलग काबिज है। और अपने–अपने बन्ट के अनुसार की जमीन पर काश्त करते थे। बन्ट निम्न प्रकार हैः–

(क) स्व. सूरजाराम के बन्ट व कब्जा काश्त का खेत

सहायक कलेक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

मौजा दौलतपुरा के खेत ख.न. 309 रकबा 19 बीघा 02 बिस्वा मे से 9 बीघा 11 बिस्वा पश्चिमी हिस्सा
मौजा दौलतपुरा के खेत ख.न. 280 रकबा 39 बीघा 13 बिस्वा मे से 02 बीघा 05 बिस्वा
(ख) स्व. मंगाराम के बन्ट व कब्जा काश्त का खेत
मौजा दौलतपुरा के खेत ख.न. 309 रकबा 19 बीघा 02 बिस्वा मे से 9 बीघा 11 बिस्वा

मौजा दौलतपुरा के खेत ख.न. 280 रकबा 39 बीघा 13 बिस्वा मे से 02 बीघा 08 बिस्वा

(ग) लिछमणराम के बन्ट व कब्जा काश्त का खेतः–

मौजा दौलतपुरा के खेत ख.न. 280 रकबा 39 बीघा 13 बिस्वा मे से 12 बीघा

(घ) भगवानाराम के बन्ट व कब्जा काश्त का खेतः–

मौजा दौलतपुरा के खेत ख.न. 280 रकबा 39 बीघा 13 बिस्वा मे से 11 बीघा 10 बिस्वा

(ड.) बालूराम के बन्ट व कब्जा काश्त का खेतः–

मौजा दौलतपुरा के खेत ख.न. 280 रकबा 39 बीघा 13 बिस्वा मे से 11 बीघा 10 बिस्वा

उक्त बन्टवारे से वादीगण के पिता सूरजाराम व मंगाराम के सामिल में मौजा दौलतपुरा के खेत ख.न. 309 रकबा 19 बीघा 02 बिस्वा मे से 19 बीघा 02 बिस्वा व खेत ख.न 280 मे से 05 बीघा रखा गया तथा खेत ख.न. 280 मे से 12 बीघा भूमि लिछमणराम व 11 बीघा 10 बिस्वा भगवानाराम व 11 बीघा 10 बिस्वा बालूराम के बन्ट व कब्जा मे रखी गई। बालूराम आज से करीब 40 साल पहले फौत हो गये तथा उनकी जोडायत धापूदेवी (धर्म पत्नि) 45साल पहले .ही फौत हो चुकी थी।वादीगण के दादा फौत होने पर उनके बन्ट की जमीन का चारो भाईयो ने बन्टवारा कर लिया व जमीन मे बराबर बराबर बन्टवारे के अनुसार बालूराम के चारो लड.को का हक है। और जमीन मौके पर बराबर–बराबर चार भागो मे बन्टी हुई है। कुल जमीन का पुनः बन्टवारा करने का कोई ओचित्य नही है। बन्टवारा दिनांक 24.10.1971 को हो रखा हैं। बन्टवारे की लिखा पढी पर चारो भाईयो के हस्ताक्षर हैं। तथा स्व. बालूरामजी के भी हस्ताक्षर हैं।

उक्त बन्टवारा दिनांक 24.10.1971 के अनुसार खेत ख.न. 308 रकबा 05 बिस्वा गैर मुमकिन बाडे को चारो भाईयो के सामलाती रखा था मगर चारो भाईयो के आपस मे विवाद होने पर गॉव दौलतपुरा के मौजिज व्यक्तियो ने चारो भाईयो की सहमती से उसका मौल 500 रूप्ये कर के मंगाराम के सम्पुर्ण बाडा कब्जे मे रखा गया और मंगाराम ने उक्त मौल के हिसाब से तीनो भाईयो को रूपये देकर दिनाकं 16.10.1984 को अपने पक्ष मे लिखा पढी करवाई थी।और मंगाराम ने बाडे का कब्जा तीनो भाईयो से मौके पर ले लिया और मंगाराम के फौत होने पर उनके दत्तक पुत्र रामूराम कब्जा व हक मे है। जिसकी नकल पेश है। असल प्रति मंगाराम के दत्तक पुत्र प्रतिवादी रामूराम के कब्जे मे है।

प्रतिवादी संख्या 04 रामूराम ने खेत ख.न. 280 रकबा 39 बीघा 13 बिस्वा में से 1/4 हिस्सा सम्पूर्ण यानि 09 बीघा 19 बिस्वा दिनाकं 26.05.2015 को जरिये रजिस्ट्री बैचाण प्रतिवादी संख्या 06 बीना जांखड को मौल बैचदी है।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी संख्या 02 व 03 मदनलाल व मोहनीदेवी ने खेत ख.न. 280 रकबा 39 बीघा 13 बिस्वा में से अपना हिस्से की जमीन 14 बीघा 17 बिस्वा में से 06 बीघा जमीन अपने हिस्से मे से दिनाकं .... को जरिये रजिस्ट्री बैचाण प्रतिवादी संख्या 05 भंवरलाल जांखड को मौल बैच दी है।

वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 07 के बन्ट मे मौजा दौलतपुरा के खेत ख.न 309 रकबा 19 बीघा 02 बिस्वा मे से 14 बीघा 13 बिस्वा भूमि बन्ट मे आई हुई है।तथा अपने बन्ट व काश्त की जमीन मे पैड–पौधे व खाद्ध आदि डाल कर व चारो और सींवें निवे डाल कर उपजाउ बना रखा है।जिसको वादीगण ने अपने नजरी नक्शा अनुसूची''क'' मे बन्टवारे के अनुसार अपने बन्ट को दर्शाया गया है।उक्त नजरी नक्शा अनुसूची''क'' दावे का अहम भाग है।बन्ट निम्न प्रकार है:–

(क) स्व. सूरजाराम के वारिसान वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 07 का बन्ट व कब्जा काश्त का खेत :–

मौजा दौलतपुरा के खेत ख.न. 309 रकबा 19 बीघा 02 बिस्वा मे से 14 बीघा 13 बिस्वा नजरी नक्शा अनुसार

(ख) स्व. मंगाराम के दत्तक पुत्र रामूराम का बन्ट व कब्जा काश्त का खेत

मौजा दौलतपुरा के खेत ख.न. 280 रकबा 39 बीघा 13 बिस्वा मे से 9 बीघा 19 बिस्वा जो प्रतिवादी संख्या 05 रामूराम ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा प्रतिवादी सं 06 बीना जाखड. को बैचाण कर दिया। नजरी नक्शा अनुसार मौजा दौलतपुरा के खेत ख.न. 309 रकबा 19 बीघा 02 बिस्वा मे से 04 बीघा 09 बिस्वा नजरी नक्शा अनुसार

मौजा दौलतपुरा के खेत ख.न. 308 रकबा 05 बिस्वा गैर मुमक़िन बाडा सम्पूर्ण नजरी नक्शा अनुसार

(ग) लिछमणराम के बन्ट व कब्जा काश्त का खेत:–

मौजा दौलतपुरा के खेत ख.न. 280 रकबा 39 बीघा 13 बिस्वा मे से 14 बीघा 17 बिस्वा नजरी नक्शा अनुसार

(घ) भगवानाराम के वारिसान प्रतिवादीगण सं 02 ता 03 का बन्ट व कब्जा काश्त का खेत:–

मौजा दौलतपुरा के खेत ख.न. 280 रकबा 39 बीघा 13 बिस्वा मे से 14 बीघा 17 बिस्वा नजरी नक्शा अनुसार मगर अपने हिस्से मे से 06 बीघा प्रतिवादी संख्या 05 भंवरलाल जांखड को बैचाण की गई।

(ड)प्रतिवादीगण सं 05 भंवरलाल जांखड का का बन्ट व कब्जा काश्त का खेत जो प्रतिवादी संख्या 02 ता 03 से जरिये रजिस्टर्ड मौल खरीद किया गया :–

मौजा दौलतपुरा के खेत ख.न. 280 रकबा 39 बीघा 13 बिस्वा मे से 06 बीघा नजरी नक्शा अनुसार

(च) प्रतिवादीगण सं 06 बीना जांखड का का बन्ट व कब्जा काश्त का खेत जो प्रतिवादी संख्या 04 रामूराम से जरिये रजिस्टर्ड मौल खरीद किया गया :–

मौजा दौलतपुरा के खेत ख.न. 280 रकबा 39 बीघा 13 बिस्वा मे से 9 बीघा 19 बिस्वा नजरी नक्शा अनुसार

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

इस प्रकार मौके पर कुल जमीन के चार भाग किये हुए है। नजरी नक्शा पेश है। जो इस वाद का अहम भाग है। नजरी नक्शे मे प्रत्येक भाईयो का व भाईयो से जमीन खरीदार का बन्ट व दिशा मे आई जमीन को दर्शाया गया है।

वर्तमान में जमीन की कीमते बढ. जाने के कारण अब प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 0 4 की नियत खराब हो गई है।तथा वादी के नजरी नक्शे मे दर्शाये अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 07 के कब्जा काश्त की भूमि पर प्रतिवादीगण सं 01ता 04 कब्जा कर जमीन किसी अन्य को बैचने के फिराक मे है।तथा ऐलानिया धमकिया दे रहे है कि जमीन तो सामिल की है हम बैचगे तुम चाहो जो करलो।हम तुम्हारी कब्जे की जमीन को बैच देगे।

प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 0 4 ने वादीगण को दिनाकं 01.07.2015 को धमकी दी कि खेत हमारे नाम है हम तो हमारी मर्जी होगी उसे बैचेगे।वादीगण व प्रतिवादी संख्या 07 के पिता स्व. सूरजांराम का स्वर्गवास हो चुका है।स्व. सूरजाराम की पैत्रिक सम्पति पर उनके वारिसान काबिज है। मगर खातेदारी में नाम स्व. सूरजाराम का नाम दर्ज है।और प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 ख.न. 309 की जमीन गलत खातेदारी की ओट मे किसी दीगर व्यक्ति को बैचाण करने पर आमादा है। जमीनो के भाव दिन प्रतिदिन बढ रहे है। जिससे प्रतिवादीगण 01 ता 04 के मन मे लालच आ गया है।जिससे वादी के जायज खातेदारी अधिकार खतरे मे पड गये है।स्व. सूरजाराम के नाम दर्ज खातेदारी वादीगण अपने नाम खातेदारी दर्ज कराने के अधिकारी है। जिस हेतु यह घोषणा खातेदारी का दावा करना लाजमी हुआ है।घोषणा खातेदारी का दावा पेश है।

मुतनाजा मौजा दौलतपुरा के खेत ख.न. 309 रकबा 19 बीघा 02 बिस्वा मे से 14 बीघा 13 बिस्वा पर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 07 कई वर्षो से अपने पिता के समय से साधिकार काबिज चला आ रहा है। प्रतिवादीगण 1 ता .4 उक्त सम्पुर्ण खसरा मे से वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 07 के कब्जा काश्त की जमीन नाजायज संयुक्त खातेदारी का बैजा फायदा उठाते हुए जमीन दीगर व्यक्तियों को बैचाण करने पर आमादा हैं।जिस कारण वादीगण के जायज अधिकार खतरे मे पड. गये है। अगर प्रतिवादीगण 1 ता 4 नाजायज रूप से बिना अधिकार सामलाती खातेदारी का बैजा फायदा उठाते हुए अगर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 07 के कब्जे काश्त व हिस्से का बैचाण कर देगे तो वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 07 को अजहद नुक्शान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति नकदी से होना संम्भव नही होगी इसलिए प्रतिवादीगण 01 ता 04 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाना न्याय संगत है। जिस हेतु स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश हैं।

बन्टवारा नाप चौक कर किया हुआ है। श्रीमान तहसीलदार जी की सहमति नही ली । इसलिए उक्त बन्ट के अनुसार खेत अलग–अलग नही हुए राजस्व रिर्कोड मे खेत सामलाती खातेदारी मे दर्ज है। इसलिए मौके पर साबिक बन्टवारे के अनुसार वाद के फिकरा संख्या 09 के अनुसार खेतो का बन्टवारा राजस्व रिकोर्ड में किया जाने हेतु यह दावा बन्टवारे का पेश है।

कि वादीगण का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावे तथा मौजा दौलतपुरा की शहरद मे खेत ख. न. 309 रकबा 19 बीघा 02 बिस्वा मे से स्व. सूरजाराम के कब्जा काश्त व बन्ट की जमीन 14 बीघा 13 बिस्वा जमीन नजरी नक्शे के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 07 के नाम खातेदारी घोषित की जावे व इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती फरमाई जावें।

कि स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी बर खिलाफ प्रतिवादी सं 01 ता 04 इस अमर की सादर फरमाई जावे कि वे तथा मौजा दौलतपुरा की शहरद मे खेत ख. न. 309 रकबा 19 बीघा 02 बिस्वा मे से वादीगण व प्रतिवादीगण सं 07 की 14 बीघा 13 बिस्वा जमीन नजरी नक्शे के अनुसार भविष्य मे किसी भी प्रकार की कार्यवाही म्युटेशन दखलादांजी, हस्तक्षेप,बैचाण, उपयोग उपभोग मे बाधा या रुकावट आदि न तो स्वयं करे न ही अन्य ऐजेन्ट आदमी कर्मचारी से करावे।

कि मौजा दौलतपुरा की शहरद मे खेत ख. न.280, 308, 309, कुल रकबा 59 बीघा जमीन का बन्टवारा बाई मिटस एण्ड बाउन्डस से वाद के पद संख्या 09 के अनुसार कर वादीगण व प्रतिवादीगण 07 के खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन 14 बीघा 13 बिस्वा जमीन

सहायक कलक्टर
[illegible]

Scanned by CamScanner

जिसको वादीगण ने अपने नजरी नक्शा मे दर्शाया अनुसार हिस्सा राजस्व रेकर्ड मे अलग से बन्ट में दिलाने का आदेश फरमाया जावें

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान् को जवाबदेही हेतु जरिये सम्मन तलब किया गया।

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के तहत् ग्राम पंचायत दौलतपुरा में आयोजित कोर्ट कैम्प में पक्षकारान् को उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किये गये जिस पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 04, ने उपस्थित आकर दावा डिग्री करने का निवेदन किया अन्य प्रतिवादी अनुपस्थित है।पत्रावली दिनाकं 19.10.15 से प्रतिवादीगण के आज दिनाकं तक जबाब व वकालातनामा पेश करने में विचाराधिन है।

मजमे आम मौतबीरान व मौजीज व्यक्तियों व उपस्थित पक्षकार को ध्यान पूर्वक सुना गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

पक्षकारान् सहखातेदार दर्ज है। भूमि के भौतिक विभाजन को लेकर पक्षकारान् के मध्य विवाद है। पक्षकारान् सहखातेदार होने आराजी भूमि में प्रत्येक खातेदार का हक एवं हिस्सा निहित है जिसका खुलासा बन्टवारा प्रस्ताव के द्वारा ही सम्भव है। अतः वाद वादीगण का प्राथमिक डिकरी किया जाकर विभाजन प्रस्ताव राजस्व कर्मियों से मंगवाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:– आदेश –:

वादीगण का वाद स्वीकार कर प्राथमिक डिकरी दी जाती है कि, सरहद मौजा दौलतपुरा की शहरद मे खेत ख.न. 280 रकबा 39 बीघा 13 बिस्वा, खेत ख.न. 308 रकबा 05 बिस्वा,गैर मुमकिन बाडा, खेत ख.न.309 रकबा 19 बीघा 02 बिस्वा का आराजी उपयुंक्त का राजस्व रेकर्ड व मौके पर कब्जा काश्त को मध्य नजर रखते हुए पक्षकारान् के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से बन्टवारा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के, दो प्रतियों में तैयार कर, तहसीलदार डीडवाना, न्यायालय हाजा में पेश करें। इसी अनुरूप प्राथमिक डिकरी जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना

प्राथमिक निर्णय आज दिनांक 12.06.2017 को कोर्ट कैम्प ग्राम पंचायत दौलतपुरा में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner